

**कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :- 1286

राँची, दिनांक :- 22/10/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत एन0टी0पी0सी0 लि0 द्वारा जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण हेतु 10.24 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (FP/JH/THE/41384/2019) के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का पत्रांक 1133 दिनांक 09.10.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि एन0टी0पी0सी0 लि0 द्वारा जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण हेतु 10.24 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (FP/JH/THE/41384/2019) वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा के पत्रांक 1133 दिनांक 09.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा Online तथा उसकी Hard Copy पाँच प्रतियों में प्राप्त हुयी है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. यह परियोजना चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का विवरण निम्नवत् है :-

प्रमंडल का नाम	अधिसूचित एवं सीमांकित वनभूमि (हे0 में)	गैर मजरूआ जंगल—झाड़ी भूमि (हे0 में)	कुल रकबा (हे0 में)	गैर वनभूमि (हे0 में)	वनस्पति घनत्व
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।	—	10.24	10.24	—	0.1
कुल :-			10.24		

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव विहित प्रपत्र Form-A (पार्ट-1) समर्पित किया गया है तथा उसमें अभियुक्ति दर्ज है।
4. प्राप्त प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण का Authorization पत्र संलग्न है।
5. प्रस्ताव के साथ प्राप्त Justification for locating से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न है।
6. विषयगत जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण में प्रभावित भूमि से संबंधित Authenticated Land Schedule संलग्न है।
7. प्रस्ताव के साथ प्राप्त मूल टोपो मैप 1:50000 स्केल पर अपयोजित होनेवाले भूमि को दर्शाते हुए संलग्न है।
8. प्रस्ताव के साथ प्राप्त Cost Benefit Analysis संलग्न है।
9. भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक J-13011/26/89.IA-II(T) दिनांक 29.11.2004 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
10. वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित वनभूमि यानि 25.31 एकड़ (10.24 हे0) भूमि के लिए उपायुक्त, चतरा के पत्र संख्या 2563 दिनांक 16.09.2021 द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न है।
11. उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 1535 दिनांक 15.12.2018 द्वारा मौजा—राहम एवं नईपारम हेतु कुल 25.31 एकड़ गैर मजरूआ जंगल—झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है।
12. प्रस्ताव के साथ प्राप्त वनभूमि से संबंधित ग्राम सभा की प्रति संलग्न है।

13. इस परियोजना प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Part-I में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन प्रस्तावित नहीं है। अतः प्रस्ताव के साथ Rehabilitation & Re-settlement Plan संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
14. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाली वनभूमि का Geo-reference Map (in shape file) एवं उसकी CD सहित संलग्न है।
15. प्रस्ताव के साथ जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण से संबंधित Layout Plan की प्रति संलग्न है।
16. प्रस्ताव के साथ विषयगत परियोजना जिन गाँवों से होकर गुजरेगी, उसके Village Cadastral Map पर गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि को लाल रंगों से दर्शाते हुए संलग्न है।
17. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल में 10.24 हे० के दो गुणे कुल 20.48 हे० अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है, जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	मौजा/साईट का नाम	थाना/थाना सं०	प्लॉट सं०	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का कुल रकबा	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का शुद्ध रकबा
1	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	Brinda	टण्डवा/36	101	23.13	20.48

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, टोपो शीट की प्रति Geo reference map, KML file, वन प्रमण्डल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं दस वर्षीय स्थल विशिष्ट योजना प्राक्कलन संलग्न है।

18. प्रस्तावित भूमि का एन०पी०भी० एवं सी०ए० की राशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता दी गयी है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
19. विषयगत परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं है। संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
20. परियोजना से संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल का पार्ट-II, अनुशंसा सहित स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
21. परियोजना से संबंधित वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा द्वारा भरा हुआ पार्ट-III की प्रति संलग्न है।
22. प्रस्तावित परियोजना में CWLW का मन्तव्य अपेक्षित है। इस हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है, जिसे प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा।
23. अधोहस्ताक्षरी का मन्तव्य पार्ट-IV संलग्न है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कुल 10.24 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु अनुसंशा की गई है। अधोहस्ताक्षरी उनके मन्तव्य से सहमत हाते हुए विषयगत परियोजना हेतु कुल 10.24 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-I की स्वीकृति के लिए लोकहित में मानक शर्तों पर अनुसंशा की जाती है।

अतः मूल प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

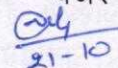
अनु०:-यथोक्त।

(तीन प्रतियों में)

विश्वासभाजन,



प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


21-10

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

RESERVOIR & ASH DYKE OF NORTH KARANPURA SUPER THERMAL POWER PROJECT 10.24 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 10.24 ha of Forest land.

Date :- 22.10.2021

Place :- Ranchi

Signature



(A.K. Rastogi)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)



कार्यालय - वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला - चतरा, झारखण्ड - 825401

Telefax - 06541-253690, Email - cf-chatra@gov.in

77

सेवा में,

पत्रांक - 1133

दिनांक - 09/10/2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
-सह- कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत एन.टी.पी.सी. लि0 द्वारा जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण हेतु 10.24 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 2389 दिनांक 28.09.2021 द्वारा एन.टी.पी.सी. लि0 का जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण हेतु कुल 10.24 हे0 वन भूमि अपयोजन का संशोधित प्रस्ताव समर्पित किया है। समर्पित प्रस्ताव पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग से ऑनलाईन अपलोड करने हेतु संचिका पर अनुमोदन प्राप्त है, जिसके आलोक में ऑनलाईन प्रस्ताव भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। समर्पित प्रस्ताव की स्थिति निम्नवत् है :-

1. अपयोजित होनेवाले वन भूमि के दुगने क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु चिन्हित स्थल का Geo-Refenece Map एवं इस क्रम तैयार किये गये फाईल की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-1, पृष्ठ संख्या- 56-52)
2. क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु चिन्हित स्थल का सर्वे ऑफ इण्डिया के टोपोमैप 1:50000 के स्केल पर दर्शाते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (अनुलग्नक-2, पृष्ठ संख्या- 51-50)
3. प्रस्ताव विहित प्रपत्र में समर्पित किया गया है। प्रस्ताव के साथ संलग्न Form-A (Part-I) में अपयोजित होने वाले वन भूमि की विवरणी निम्नवत् है-(अनुलग्नक-3, पृष्ठ संख्या- 49-47)

प्रमंडल का नाम	अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि (हे0 में)	गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि (हे0 में)	कुल रकबा (हे0 में)	गैर वन भूमि (हे0 में)
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।	-	10.24	10.24	-
कुल :-			10.24	-

4. प्रस्ताव के साथ (Authorization)प्राधिकृत पदाधिकारी का पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-4, पृष्ठ संख्या- 46-45)
5. प्रस्ताव के साथ जलाशय एवं राख डाइक परियोजना से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई Justification संलग्न है। (अनुलग्नक-5, पृष्ठ संख्या-44)
6. विषयगत जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य शर्त लगाये जाते हैं तो उसे मान्य है से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking)दी गई है जो संलग्न है। (अनुलग्नक 6, पृष्ठ संख्या-43)
7. प्रस्ताव के साथ विषयगत जलाशय एवं राख डाइक निर्माण के क्रम में कोई भी पुरातत्व भवन/संरचना का भाग नहीं पड़ता है से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking)प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई है जो संलग्न है। (अनुलग्नक 7, पृष्ठ संख्या- 42)
8. प्रस्ताव के साथ विषयगत पथ निर्माण के क्रम में कोई भी वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र/राष्ट्रीय उत्थान/ जैविक उद्यान/जैव विविधता क्षेत्र इत्यादि का भाग नहीं पड़ते हैं से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking)प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई है जो संलग्न है। (अनुलग्नक 8, पृष्ठ संख्या- 41)

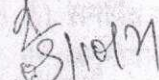
9. विषयगत जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण में अधिसूचित वन भूमि का भाग नहीं पड़ता है से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र (Undertaking) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई है जो संलग्न है। (अनुलग्नक 9, पृष्ठ संख्या- 40)
10. अपयोजित होने वाले वन भूमि के विरुद्ध नियमानुसार माँगी गई एन.पी.भी./क्षतिपूरक वनरोपण/अन्य मद में राशि जमा करने संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking) दी गई है जो संलग्न है। (अनुलग्नक 10, पृष्ठ संख्या-39)
11. विषयगत जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण में कोई भी वृक्षों का पातन नहीं होगा से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (Undertaking) दी गई है जो संलग्न है। (अनुलग्नक 11, पृष्ठ संख्या- 38)
12. अपयोजित होने वाले वन भूमि का उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं इस क्रम में हुई ग्राम सभा बैठक कार्यवाही की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-37A-1 & 37A- X)
13. प्रस्ताव के साथ एन.टी.पी.सी. सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से संबंधित भारत सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रमाण-पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक 12, पृष्ठ संख्या- 37-34)
14. विषयगत जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण में प्रभावित भूमि से संबंधित Authentic Land Schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (अनुलग्नक-13, पृष्ठ संख्या-33-32)
15. विषयगत परियोजना में प्रभावित होने वाले गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि (25.31 एकड़ या 10.24 हे0) का उपायुक्त चतरा द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक-14, पृष्ठ संख्या-31-30)
16. विषयगत जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (अनुलग्नक-15, पृष्ठ संख्या-29-28)
17. विषयगत परियोजना से संबंधित Brief Description की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-16, पृष्ठ संख्या-27-22)
18. विषयगत परियोजना से संबंधित DPR की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-17, पृष्ठ संख्या-21-17)
19. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होनेवाले वन भूमि का Geo-Refenece Map in Shape File एवं इस क्रम तैयार किये गये फाईल की प्रति सीडी सहित संलग्न है। (अनुलग्नक-18, पृष्ठ संख्या-16-11)
20. विषयगत परियोजना से संबंधित Cost Benefit Analysis की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-19, पृष्ठ संख्या-10-06)
21. प्रस्ताव के साथ सर्वे ऑफ इण्डिया का टोपोग्रैफिक स्केल 1:50,000 पर विषयगत परियोजना को दर्शाते हुए संलग्न है। (अनुलग्नक-20, पृष्ठ संख्या-05)
22. प्रस्ताव के साथ जलाशय एवं राख डाइक परियोजना निर्माण से संबंधित Layout Plan की प्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-21, पृष्ठ संख्या- 04)
23. प्रस्ताव के साथ विषयगत परियोजना जिन गाँवों से होकर गुजरेगी उसके मिलेज कैंडेस्ट्रल मानचित्र पर गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि को लाल रंगों से दर्शाते हुए संलग्न है। (अनुलग्नक-22, पृष्ठ संख्या- 03-02)
24. विषयगत परियोजना में अपयोजित होनेवाले वन भूमि के दुगने क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु चिन्हित स्थल का Cadastral Map पर दर्शाते हुए संलग्न है। (अनुलग्नक-23, पृष्ठ संख्या- 01)
25. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित स्थल का वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा निर्गत उपयुक्तता प्रमाण-पत्र (Sutability Certificate) संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-57)
26. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की प्रति संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-58)
27. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल का पार्ट-2 की प्रति संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 59-60)

28. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल का स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 61)
29. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल का Recommendation की प्रति संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 62)
30. मैनुअल पार्ट-1, एन.पी.भी. एवं क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु राशि जमा करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाईन पार्ट-1 के Additional Information में अपलोड किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 63-66)
31. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल द्वारा मैनुअल पार्ट-2 की हस्ताक्षरित प्रति ऑनलाईन पार्ट-2 के Additional Information में अपलोड किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 67)
32. अधोहस्ताक्षरी का Part III की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (पृष्ठ संख्या- 68)

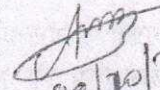
अतः प्रस्ताव की पाँच मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोक्त।

आपका विश्वासी,



वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।


09/10/2024